न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम
10-7-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर का पत्रांक 1140/भू.अ./23 दिनांक 07-07-23 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20-7-23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
20-7-23	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय अधिकारी उप./अनुपस्थित [illegible] दौरे/अन्य कार्य में [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 31-7-23 को पेश हो। [signature]
31-7-23	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय अधिकारी उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/नोटिस में हैं। पत्रावली अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 3-8-23 को पेश हो। [signature]
03.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 7, 8, 12 व 20 की सम्मन तामील साधारण तरीके से करवाई जाने पर समस्त सम्मन इन्कारी मय दो गवाहान के हस्ताक्षरों से होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील [illegible] अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण [illegible] के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने प्रकरण [illegible] समस्त पक्षकारान् प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

03/08/2023

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमत होते हुए उसके अनुसार आदेश में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया। वकील वादी ने प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्राप्त लिखित विभाजन प्रस्ताव में अंकित निस्तारणानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। जिस पर वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Rathore 03/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2023	2023 / 0178	28.03.2023	03.08.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

अभिमन्यू पुत्र लालचन्द आयु 33 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----वादी--

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी बाबूलाल आयु 58 वर्ष जाति खटीक निवासी 133, पंचवटीव मंगराली गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर
2. कोयली देवी पुत्री कानाराम आयु 55 वर्ष
3. चोथू पुत्र मंगला आयु 30 वर्ष
4. जमना देवी पत्नी कानाराम आयु 68 वर्ष
5. दर्शन पुत्र भगवाना आयु 38 वर्ष
6. सजना देवी पत्नी स्व0 दानाराम आयु 48 वर्ष
7. अशोक पुत्र स्व0 दानाराम आयु 28 वर्ष
8. मुकेश पुत्र स्व0 दानाराम आयु 26 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9. लालचन्द पुत्र स्व0 दानाराम आयु 24 वर्ष

10. मंजू पुत्री स्व0 दानाराम आयु 22 वर्ष

11. बन्नाराम पुत्र हणमान आयु 55 वर्ष

12. बाबूलाल पुत्र कानाराम आयु 66 वर्ष

13. बोदूराम पुत्र हनुमान आयु 35 वर्ष

14. राजूराम पुत्र कानाराम आयु 36 वर्ष

15. शंकरी पत्नी हनुमान आयु 72 वर्ष

16. श्योप्रसाद पुत्र हनुमान आयु 40 वर्ष

17. श्योपाल पुत्र कानाराम आयु 45 वर्ष

18. सत्यनारायण पुत्र भगवाना आयु 47 वर्ष

19. संतोष देवी पुत्री कानाराम आयु 51 वर्ष

20. साधूराम पुत्र भगवाना आयु 60 वर्ष

समस्त जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

22. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

23 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अरनिया

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

24 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रीगस तहसील रीगस जिला सीकर राज0

----प्रतिवादीगण--

उपस्थित:-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 399, 466, 481, 482, 483, 484, 512, 513, 516 कुल किता 9 कुल रकबा 6.45 हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसके हिस्सा 1/8 की खातेदारी वादी व शेष 7/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज जमाबंदी अनुसार हैं। भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 2.64 हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके हिस्सा 1/8 की खातेदारी वादी के नाम व शेष 7/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज जमाबंदी अनुसार हैं। भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 4.6[illegible] हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित [illegible] 1/8 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम व शेष 7/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जमाबंदी अनुसार है। उक्त वर्णित भूमियों का पूर्व खातेदारान मे बाहमी बटवारा कर तीनो दर्ज भूमियो का कॉमन बटवारा अबसे करीबन 20 25 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। जिसके अनुसार खातेदार मगलाराम के हक हिस्से व बटवारे मे उक्त वर्णित भूमियों का कॉमन बटवारा किया गया था। जिसके अनुसार वादपत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित खसरा नम्बर 466 की उत्तरी सीमा के सहारे 15 फुट का रास्ता छोडकर खसरा नम्बर 466 व 467 की पश्चिमी तरफ की कुल भूमि 1.71125 हैक्टर खातेदार के एकल बटवारे मे आयी हुयी थी। जिसमे उक्त भूमि को मोहरी देवी पत्नी मगलाराम ने जरिए रजि. विक्रय लेख दिनाक 05.04.2010 को सतोष देवी को बेचान कर कब्जा सम्भलाया था। बाद मे उक्त क्रेता सतोष देवी ने दिनांक 30.06.2011 को बिडदी देवी पत्नी गिरधारीलाल को बेचान कर दिया था। उक्त बिडदी देवी ने अपनी खरीदशुदा भूमि वादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख बेचान दिनांक 13.03.2023 को किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे मे दर्शित 1.71125 हैक्टर भूमि पर वादी खरीद करने के दिन से काबिज काश्त हैं। वादी की उक्त भूमि भी मौके पर सीव नीव अलग से ही पूर्व विक्रेता खातेदारान द्वारा कायम की हुयी हैं। वादी की उक्त कब्जे की भूमि की चारो तरफ से सुरक्षार्थ तारबंदी पूर्व से ही की हुयी हैं। जिस पर वादी पूर्णतया काबिज हैं। जिसका कानूनी बंटवारा कराने हेतु वादी ने प्रतिवादीगण को खरीद करने के उपरान्त कहा तो वे हां करते रहे परन्तु वर्तमान समय में प्रतिवादी नम्बर 1 ने सभी प्रतिवादीगण को अपने प्रभाव में लेकर विधिक बंटवारा कराने में आनाकानी करने लग गये हैं इसी कारण मजबूर होकर वादी को यह वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। बंटवारा के अभाव में वादी को सख्त हकतल्फी हैं बिना विधिक बंटवारा कराये वादी अपने विधिक हक हिस्से की भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहा हैं, ना ही वादी अपनी भूमि का एकल स्वामित्व के रूप में उपयोग–उपभोग ही कर पा रहा हैं इस कारण भूमियों का संतुलित बंटवारा किया जाना न्यायहित मे अतिआवश्यक हैं। प्रतिवादीगण भूमियो पर जबरन [illegible] कब्जा करने की बदनियति रखते हैं जिसका उन्हे कोई अधिकार [illegible] हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को भूमियों का बंटवारा कराने हेतु दिनांक 22.03.2023 को कहां तो वे इंकार हो गये व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमियो पर जबरन अतिक्रमण कर हडपाने पर उतारू हो रहे है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि ग्राम जल्यालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की कृषि भूमि खसरा नम्बर 399, 466, 481, 482, 483, 484, 512, 513, 516 कुल किता 9 कुल रकबा 6.45 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 2.64 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 4.60 हैक्टर का पूर्व मे हुये कॉमन बटवारे के अनुसार वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शित भूमि खसरा नम्बर 466 की उत्तरी सीमा के सहारे 15 फुट का रास्ता छोडकर भूमि खसरा नम्बर 466 व 467 की पश्चिमी तरफ की कुल भूमि 1.71125 हैक्टर भूमि का बटवारा करवाया जाकर वादी के नाम अलग से खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम कराये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जाने कि वादी के विधिक हक हिस्से की भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एव उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे, ना ही भूमियों में किसी भी प्रकार अतिक्रमण करे, ना ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, ना ही दीगर से कराने बाबत निवेदन किया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिक तकास्मा करवाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के मध्य विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादी को उसकी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम उपरोक्त भूमियो का बंटवारा अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शे मे तरमीम करायी जाकर लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते बंटवारा एव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब कि[illegible] जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 तामील जरिये रजिस्टर्ड[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6, 9 लगायत 11, 13 लगायत 19, 21 ल[illegible] 24 की तामील रजिस्टर्ड डाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से हो चुकी है तथा डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश हो चुकी है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6, 9 लगायत 11, 13 लगायत 19, 21 लगायत 24 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त नहीं होने से पुनः तलबी किये जाने हेतु सम्मन तलबाना पेश करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 20 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 20 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। अधिकांश प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने की स्थिति में वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2023 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 मे वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2076/रीडर/2023 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1140/भू.अ./2023 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली संलग्न है। प्रकरण मे शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 7, 8, 12 व [illegible] की सम्मन तामील साधारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तरीके से करवाई जाने पर समस्त सम्मन इन्कारी मय दो गवाहान के हस्ताक्षरी से होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 7, 8, 12 व 20 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील वादी ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मे अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रैजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 07.07.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार [illegible] में विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

02/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
11	1. अभिमन्यू पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/8 जाति रैगर नि0 महरोली 2. कोयली देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार 3. गीतादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 23/228 जाति खटीक 4. चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/456 जाति मेघवंशी 5. जमना देवी पत्नि स्व0 कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 6. दर्शन पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12 जाति मेघवंशी 7. दानाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 8. बन्नाराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 9. बाबूलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 10. बोदूराम पुत्र हनुमान हिस्सा	399 466 481 482 483 484 512 513 516	0.3900 1.3600 0.0500 1.8900 0.4900 1.2000 0.1600 0.6300 0.2800	बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–3 बारानी–3 बारानी–3	1.71 2.15 0.08 2.99 1.26 3.08 0.25 1.00 0.44

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

23/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	1/20 जाति मेघवंशी 11. राजुराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 12. शंकरी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 13. श्योप्रसाद पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 14. श्योपाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 15. सत्यनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12 जाति मेघवंशी 16. संतोष देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 17. साधूराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12 जाति मेघवंशी				
	योग खाता	किता–9	6.4500	2.2400	12.9600

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
204	1. अभिमन्यू पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/8 जाति रैगर नि0 महरोली 2. कोयली देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार	467	[illegible]	बारानी–3	7.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	3. गीतादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1103/6555 जाति खटीक 4. चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/456 जाति मेघवंशी 5. जमना देवी पत्नि स्व0 कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 6. दर्शन पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12 जाति मेघवंशी 7. दानाराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 8. बन्नाराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 9. बाबूलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 10. बोदूराम पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 11. राजुराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 12. शंकरी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 13. श्योप्रसाद पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 14. श्योपाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 15. सत्यनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

07/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	1/12 जाति मेघवंशी 16. संतोष देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 17. साधूराम पुत्र भगवाना हिस्सा 11/690 जाति मेघवंशी				
	योग खाता	किता–1	4.6000		7.2700

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
203	1. अभिमन्यू पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/8 जाति रैगर नि0 महरोली 2. कोयली देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार 3. गीतादेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 419/1140 जाति खटीक 4. चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/456 जाति मेघवंशी 5. जमना देवी पत्नि स्व0 कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 6. बन्नाराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 7. बाबूलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी	475	2.6400	बारानी–3	4.1700

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

07/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	8. शंकरी पत्नि हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 9. श्योप्रसाद पुत्र हनुमान हिस्सा 1/20 जाति मेघवंशी 10. श्योपाल पुत्र कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी 11. सत्यनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा 1/12 जाति मेघवंशी 12. संतोष देवी पुत्री कानाराम हिस्सा 1/24 जाति मेघवंशी				
	योग खाता	किता–1	2.6400	2.6400	4.1700

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	अभिमन्यू पुत्र लालचन्द जाति रैगर नि0 महरोली	466/1 467/1	0.4600 1.25125	बारानी–3 बारानी–3	0.95 2.73
	योग खाता	किता–2	[illegible]125	बारानी–3	3.6800

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2	कोयली देवी पुत्री कानाराम, जमना देवी पत्नी कानाराम बाबूलाल, राजूराम, श्योपाल पुत्र कानाराम, संतोष देवी पुत्री कानाराम हि. ब. हि. 2/7 जाति मेघवंशी गीता देवी पत्नी बाबूलाल हिस्सा 46/399 जाति खटीक निवासी गोविन्दगढ़ चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/399 जाति मेघवंशी दर्शन पुत्र भगवाना राहिन बीआरकेजीबी शाखा अरनियां सत्यनारायण पुत्र भगवाना, साधूराम पुत्र भगवाना हि0ब0हि0 2/7 राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली जाति मेघवंशी, बन्नाराम पुत्र हणमान राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली बोदूराम पुत्र हणमान राहिन बीओबी शाखा रींगस शंकरी पत्नी हनुमान, श्योप्रसाद पुत्र हनुमान हि0ब0हि0 8/35 राहिन सजना देवी पत्नी दानाराम,	339 466/2 481 482 483 484 512 513 516	0.3900 0.9000 0.0500 1.8900 0.4900 1.2000 0.1600 0.6300 0.2800	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	1.71 1.20 0.08 2.99 1.26 3.08 0.25 1.00 0.44

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	अशोक पुत्र दानाराम, मुकेश पुत्र दानाराम, लालचन्द पुत्र दानाराम, मंजू पुत्री दानाराम हि0ब0हि0 2/35 जाति मेघवंशी रहिन बीआरकेजीबी शाखा अरनियां				
	योग खाता	किता–9	5.9900		17.00

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
3	कोयली देवी पुत्री कानाराम, जमना देवी पत्नी कानाराम बाबूलाल, राजूराम, श्योपाल पुत्र कानाराम, संतोष देवी पुत्री कानाराम हि. ब. हि. 2/7 जाति मेघवंशी गीता देवी पत्नी बाबूलाल हिस्सा 8824/45885 जाति खटीक चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/399 जाति मेघवंशी रहिन	467/2	3.34875	बारानी–3	4.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

01/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	बन्नाराम पुत्र हणमान राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली बोदूराम पुत्र हणमान राहिन बीओबी शाखा रींगस बिना रहन शंकरी पत्नी हनुमान, श्योप्रसाद पुत्र हनुमान हि0ब0हि0 8/35 राहिन सजना देवी पत्नी दानाराम, अशोक पुत्र दानाराम, मुकेश पुत्र दानाराम, लालचन्द पुत्र दानाराम, मंजू पुत्री दानाराम हि0ब0हि0 2/35 जाति मेघवंशी राहिन बीआरकेजीबी शाखा अरनियां दर्शन पुत्र भगवाना हिस्सा 2/21 साधूराम पुत्र भगवाना हिस्सा 44/2415 राहिन सत्यनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा 2/21 राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली जाति मेघवंशी,				
	योग खाता	किता–1	3.34875	बारानी–3	4.54

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

01/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
4	कोयली देवी पुत्री कानाराम, जमना देवी पत्नी कानाराम बाबूलाल, राजूराम, श्योपाल पुत्र कानाराम, संतोष देवी पुत्री कानाराम हि. ब. हि. 2/7 जाति मेघवंशी गीता देवी पत्नी बाबूलाल हिस्सा 179/440 जाति खटीक निवासी गोविन्दगढ़ चौथू पुत्र मंगला हिस्सा 11/399 जाति मेघवंशी राहिन सत्यनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा 2/21 राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली जाति मेघवंशी, शंकरी पत्नी हनुमान, श्योप्रसाद पुत्र हनुमान राहिन बन्नाराम पुत्र हनुमान राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली हि0ब0हि0 32419/175560 जाति मेघवंशी	475	2.6400	बारानी–3	4.17
	योग खाता	किता–1	2.6400	बारानी–3	4.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

02/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1140 / भू.अ. / 23 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर